

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-1/4/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक: 16 जुलाई, 2015

आदेश

बी.एड./शिक्षाशास्त्री/एम.एड./शिक्षा-आचार्य/बी.पी.एड. महाविद्यालयों के लिए सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम शुल्क

नेशनल कोऑर्डिनेट फॉर टीचर रेजुकेन्स के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2015-16 के लिए निम्नानुसार अन्तरिम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
1.	शिक्षण शुल्क	17,880.00
2.	विविध शुल्क	(A) 2285 + B) 2160 = 4,440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3500.00
		कुल = 26,800

* (म.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क सिर्फ बी.एड./शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध व्यय का मसुदा विवरण सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम रूप से निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	विवरण	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
(A) कार्यालय व्यय		
1.	प्रवेश शुल्क	38.00
2.	प्रोग्राम मनी	180.00
3.	प्रमाण-पत्र	24.00
4.	विकास शुल्क	840.00
5.	बिजली-पानी	840.00
6.	परीक्षा	300.00
7.	विविध	60.00
योग		2285.00
(B) कार्यशाला व्यय		
1.	खिलकाद	180.00
2.	सुस्तकालय	540.00
3.	कला, संगीत एवं सांस्कृतिक	180.00
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180.00
5.	शैक्षिक तकनीकी	360.00
6.	कामिष्ठाला/कार्यानुभव	360.00
7.	विज्ञान शुल्क	180.00
8.	आवृत्तिक व्यय	180.00
योग		2160.00
सहायोग (A+B)		4,440.00

वर्ष 2015-16 के लिए उपरोक्त शुल्क पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वार्षिक रूप से देय होगा।
व्याख्या: कि यह शुल्क अन्तरिम रूप से निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा 2016-17 के लिए नवीन शुल्क निर्धारण किए जाने की स्थिति में वर्ष 2016-17 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ-साथ में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर भी नवीन शुल्क लागू होगा।

Sell-

(डॉ० रेनु बापना)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा



7. डी.एल.एड एवं डी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु वार्षिक निर्धारित शुल्क 16250/- का नवका विवरण निम्नानुसार होगा-

राशि रुपये में

क्र. सं.	विवरण	उपविवरण	डी.एल.एड		डी.पी.एड	
			राशि	योग	राशि	योग
1	शिक्षण शुल्क	—	9000	9000	2500	2500
2	छात्र काम शुल्क	पंजीयन	100	7250	100	13750
		भाडान नगरी	100		100	
		विजली पाने	1500		1500	
		गृह परीक्षा शुल्क	500		500	
		जैलकद	500		8000	
		पुस्तकालय/बास्नालय	800		800	
		प्रयोगशाला शुल्क	500		500	
		शैक्षिक तजनीजी	700		700	
		जन्मपत्र शुल्क	800		800	
		आकाशिक व्यय	1750		750	
	महायोग			16250		16250

विशेष नोट—उक्त अतिरिक्त विद्युत् शुल्क 3 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी से 250 रुपये वार्षिक अलाविक सम्पलन राशि में ली जाएगी। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुनील कुमार शर्मा)
सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तानाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, एनआईआईआरटी, उदयपुर।
9. सयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई जीवननिधि-आ, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल भवनों लिड मार्ग, जयपुर।
11. वित्त नियन्त्रक, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा संकूल जयपुर।
12. वित्त नियन्त्रक, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।